रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232973
CG-DL-E-28012022-232973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943
No. 367] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 375(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित, धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश को दिनांक 6 अप्रैल, 2021 से चार वर्ष की अवधि के लिए या उनके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 17(09)/2020-पीएल/एनजीटी]

राजश्री रे, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 375(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6, read with section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Justice Shri Sudhir Agarwal, former Judge of High Court of Allahabad as the Judicial Member of the National Green

Tribunal with effect from the 6th April, 2021for a period of four years or till he attains the age of sixty-seven years or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. 17(09)/2020-PL/NGT]

RAJASREE RAY, Economic Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 376(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित, धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री एम. सत्यानारायणन, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायधीश को दिनांक 17 मई, 2021 से चार वर्ष की अवधि के लिए या उनके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 17(09)/2020-पीएल/एनजीटी]

राजश्री रे, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6, read with section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Justice Shri M. Sathyanarayanan, Judge of High Court of Madras as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the 17th May, 2021for a period of four years or till he attains the age of sixty-seven years or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. 17(09)/2020-PL/NGT]

RAJASREE RAY, Economic Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 377(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित, धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री बी. अमित स्थालेकर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश को दिनांक 7 अप्रैल, 2021 सेचार वर्ष की अवधि के लिए या उनके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 17(09)/2020-पीएल/एनजीटी]

राजश्री रे, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6, read with section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Justice Shri B. Amit Sthalekar, Judge of High Court of Allahabad as the Judicial Member of the National Green Tribunal with

effect from the 7th April, 2021for a period of four years or till he attains the age of sixty-seven years or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. 17(09)/2020-PL/NGT]

RAJASREE RAY, Economic Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 378(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित, धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री बृजेश सेठी, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायधीश को दिनांक 6 अप्रैल, 2021 से चार वर्ष की अवधि के लिए या उनके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 17(09)/2020-पीएल/एनजीटी]

राजश्री रे, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6, read with section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Justice Shri Brijesh Sethi, Judge of High Court of Delhi as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the 6th April, 2021for a period of four years or till he attains the age of sixty-seven years or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. 17(09)/2020-PL/NGT]

RAJASREE RAY, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.28 22:46:46 +05'30'